

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 387/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.10.2026

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ | दिनांक 06.10.2026

- थाना देवगांव पुलिस द्वारा 50,000 रुपये के इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त फैजान उर्फ गुल्लू गिरफ्तार।
- दुकान में CCTV कैमरा व जेवरात चोरी, बोलेरो चोरी के प्रयास तथा पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं में रहा है संलिप्त।
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़ एवं जौनपुर जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गोवध, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 20 अभियोग पंजीकृत।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस, सर्विलांस सेल एवं स्वाट टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 50,000 रुपये के इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त फैजान उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 06.10.2026 को उ०नि० विनय कुमार सिंह को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवगांव पर पंजीकृत मु०अ०सं० 234/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 50,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त फैजान उर्फ गुल्लू पुत्र कयूम निवासी ग्राम बक्सपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ गोसाईगंज-जिबली मार्ग से अपने घर की ओर जा रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को अवगत कराते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को दादा चौक/ग्राम चौकी मोड़ से करीब 150 मीटर दूर से समय करीब 11:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त फैजान उर्फ गुल्लू अपने अन्य साथियों के साथ विभिन्न आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। दिनांक 09/10.01.2024 की रात्रि अभियुक्तगण द्वारा कंजहिता बाजार स्थित दुकान में लगा CCTV कैमरा एवं जेवरात चोरी कर लिये गये थे, जिसके संबंध में थाना देवगांव पर मु०अ०सं० 16/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 09.01.2024 को अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो वाहन संख्या UP62 AV3931 चोरी करने का प्रयास किया गया, जिसमें सफल नहीं हो सके। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु०अ०सं० 17/2024 धारा 379/511 भादवि पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 21.01.2024 को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसके संबंध में थाना देवगांव पर मु०अ०सं० 33/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

इनाम की घोषणा

अभियुक्त फैजान उर्फ गुल्लू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक 08.09.2026 को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के लगातार फरार रहने के कारण डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 16.09.2026 को इनाम की धनराशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

फैजान उर्फ गुल्लू पुत्र कयूम, निवासी ग्राम बक्सपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 356/2017 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम व 419/420/467/471 भादवि, थाना बरदह, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 74/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 16/2024 धारा 380/411/457 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 17/2024 धारा 379/511 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 33/2024 धारा 370 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 234/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 555/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 106/2016 धारा 328/392/411 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 112/2016 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 180/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 14/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 205/2018 धारा 380 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 211/2018 धारा 380 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 166/2018 धारा 380/457 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 213/2018 धारा 307/41/411 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 229/2018 धारा 279/307/411/419/420/467/468 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 408/2018 धारा 380/457 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
18. मु0अ0सं0 217/2018 धारा 380/457 भादवि, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर।
19. मु0अ0सं0 209/2018 धारा 380 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0 356/2017 धारा 419/420/467/468/471 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना देवगांव – थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उ0नि0 विनय कुमार सिंह, का0 तेजस शुक्ला।

सर्विलांस सेल/स्वाट टीम – मु0आ0 संजय सिंह, मु0आ0 अखिलेश चौधरी एवं मु0आ0 उपेन्द्र सिंह चन्देला।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 06.10.2026 | जनपद आजमगढ़

महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में थाना कन्धरापुर व अहरौला पुलिस की कार्रवाई, 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म एवं अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने वाला वांछित
अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद।

थाना अहरौला पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
किशोरी सकुशल बरामद।

थाना अहरौला पुलिस द्वारा किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, जान से मारने की धमकी एवं अवैध पिस्टल से फायरिंग करने
वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध पिस्टल बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर एवं थाना अहरौला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 05.10.2026 को थाना कन्धरापुर पर एक युवती द्वारा तहरीर देकर अभियुक्त सरफराज आलम पुत्र जावेद आलम निवासी चक सहदरिया पश्चिम मोहल्ला जहानागंज पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया था। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 240/2026 धारा 69 बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। वांछित अभियुक्त सरफराज आलम को नि०अ० संजय मिश्रा मय हमराह द्वारा दिनांक 06.10.2026 को चन्द्रमा ऋषि आश्रम पुलिसा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन Vivo T3X बरामद किया गया।

थाना अहरौला पर पंजीकृत मु०अ०सं० 247/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस एवं मु०अ०सं० 291/2026 धारा 137(2)/87/64(2)(M) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम पिपरा दोयम थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 21 वर्ष को उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 06.10.2026 को बरामदपुर पुलिसा के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा किशोरी को भी सकुशल बरामद किया गया।

इसी क्रम में थाना अहरौला पर पंजीकृत मु०अ०सं० 332/2026 धारा 109(1)/62/64/352/351(3)/61(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आर्यन यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को उ०नि० मनीष मणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा दिनांक 05.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद की गयी, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. सरफराज आलम पुत्र जावेद आलम, निवासी चक सहदरिया पश्चिम मोहल्ला जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

मु०अ०सं० 240/2026 धारा 69 बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट, थाना कन्धरापुर।
गिरफ्तारी करने वाले उ०नि०/नि०अ० संजय मिश्रा। बरामदगी—01 मोबाइल फोन Vivo T3X।

2. सूरज कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी ग्राम पिपरा दोयम थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र करीब 21 वर्ष।
मु०अ०सं० 247/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस एवं मु०अ०सं० 291/2026 धारा 137(2)/87/64(2)(M) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट, थाना अहरौला।

गिरफ्तारी करने वाले उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह। बरामदगी—किशोरी सकुशल बरामद।

3. आर्यन यादव पुत्र मनोज यादव, निवासी ग्राम पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
मु०अ०सं० 332/2026 धारा 109(1)/62/64/352/351(3)/61(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना अहरौला।

गिरफ्तारी करने वाले उ०नि० मनीष मणि त्रिपाठी। बरामदगी—01 अवैध पिस्टल।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बरदह पुलिस द्वारा महिला से चैन छपटमारी की घटना का अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की बाइक, 7,000 रुपये, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**
- **थाना बरदह पुलिस द्वारा चाकू से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।**
- **थाना फूलपुर पुलिस द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, कूटरचित पासपोर्ट व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराधों के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह व थाना फूलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना बरदह – चैन छपटमारी की घटना का अनावरण

वादी संजीव कुमार राय पुत्र रामललित राय निवासी बेलवाना, थाना बरदह, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 05.08.2026 को सूचना दी गयी कि वह अपनी पत्नी कविता राय के साथ बाइक से वाराणसी से घर जा रहे थे। उसरगांवा पेट्रोल पम्प के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चलती बाइक से उनकी पत्नी के गले से सोने की चैन छपटमारी कर फरार हो गये। इस संबंध में थाना बरदह पर मु०अ०सं० 271/2026 धारा 304 BNS पंजीकृत किया गया था।

CCTV फुटेज एवं सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान करते हुए अभियुक्त सूरज निषाद का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 06.10.2026 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद पटेल व पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, छपटमारी से प्राप्त 7,000 रुपये नगद, .315 बोर का अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामद तमंचे के संबंध में थाना बरदह पर मु०अ०सं० 323/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को उसने अपने साथी वकील उर्फ कृष्णा सोनकर के साथ वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास से चोरी किया था।

थाना बरदह – जानलेवा हमले का अभियुक्त गिरफ्तार

वादी भुवाल बिन्द पुत्र चनई बिन्द निवासी ग्राम जगदीशपुर सोहौली, थाना बरदह, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 04.10.2026 को सूचना दी गयी कि दिनांक 03.10.2026 की रात उसके गांव के विशाल राजभर आदि द्वारा लाठी-डण्डा एवं चाकू से हमला किया गया, जिसमें उसे जांघ तथा सौरभ बिन्द पुत्र साहबलाल बिन्द को पेट में गंभीर चोटें आयीं। तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु०अ०सं० 322/2026 धारा 3(5), 115(2), 118(1), 351(3) BNS पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 109(1), 352 BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांक 06.10.2026 को उ०नि० रितेश खरवार द्वारा पुलिस टीम के साथ अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र स्व० निरंजन राजभर निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना बरदह, आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष को कमालपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया।

थाना फूलपुर – धोखाधड़ी व कूटरचित पासपोर्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी दिलीप सोनकर पुत्र शंकर सोनकर निवासी संतकबीर नगर वार्ड नम्बर-02, थाना फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त द्वारा उसके भाई को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर 1,30,000 रुपये लेकर कूटरचित एवं फर्जी पासपोर्ट उपलब्ध कराया गया तथा जानकारी होने पर रुपये वापस मांगने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिनांक 06.10.2026 को वांछित अभियुक्त ओसामा पुत्र बैतुल्लाह उर्फ फिरोज निवासी ग्राम अरनौला थाना दीदारगंज, हाल पता ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष को सुदनीपुर पावर हाउस के पास से समय करीब 12:35 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी निल है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. सूरज निषाद पुत्र बंगाली, निवासी नालापार नावघाट, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।

सम्बन्धित अभियोग – मु0अ0सं0 271/2026 धारा 304, 317(2) BNS एवं मु0अ0सं0 323/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बरदह।

बरामदगी – चोरी की मोटरसाइकिल, 7,000 रुपये नगद, .315 बोर तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस।

2. विशाल राजभर पुत्र स्व0 निरंजन राजभर, निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग – मु0अ0सं0 322/2026 धारा 3(5), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(3) BNS, थाना बरदह।

बरामदगी – घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू।

3. ओसामा पुत्र बैतुल्लाह उर्फ फिरोज, निवासी ग्राम अरनौला, थाना दीदारगंज, आजमगढ़, हाल पता ग्राम चमराडीह, थाना फूलपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग – मु0अ0सं0 224/2026 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना फूलपुर।

बरामदगी – निल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें:

थाना बरदह – SO चन्द्रीप कुमार, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 पुनीत श्रीवास्तव, उ0नि0 रितेश खरवार सहित पुलिस टीम एवं सर्विलांस सेल के का0 बसंत यादव।

थाना फूलपुर – उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र कुमार यादव एवं का0 हरिकिशन मौर्या।

तीनों प्रकरणों में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ | दिनांक 06.10.2026

• गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी/84 BNSS की कार्रवाई।

• पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराकर न्यायालय/पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की दी गयी सूचना।

• 18.10.2026 तक उपस्थित न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यवाही का विवरण

थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेन्द्र गौड़ उर्फ नागेन्द्र, निवासी राजेन्द्र नगर (कान्दू टोला), थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा है तथा न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही मा0 न्यायालय में उपस्थित हुआ है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु मा0 गैंगस्टर न्यायालय, जनपद आजमगढ़ द्वारा NBW एवं 82 सीआरपीसी/84 BNSS के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 06.10.2026 को पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी करायी गयी तथा परिजनों/स्थानीय लोगों को अवगत कराया गया कि यदि अभियुक्त 18.10.2026 तक मा0 न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर, आजमगढ़
2. का0 रोहित त्रिपाठी, थाना जीयनपुर, आजमगढ़

